न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 5/2021

जीसीएमएस नम्बर :– 2021/22

उनवान

1. प्यारी पुत्री कालु जाट निवासी कोट हाल निवास भगतपुरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. भैरूलाल पिता हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपी पिता हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोहन पिता हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बाली पुत्री हरलाल जाट निवासी कोट हाल निवास घोसुंडी तहसील आमेट जिला राजसंमद
5. प्रेमी पुत्री हरलाल जाट निवासी कोट हाल निवास मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मांगी बेवा हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. चान्दी पुत्री कालु जाट पत्नि मूला जाट निवासी आमलीकाछोटाखेड़ा तह.सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. कंकु पुत्री कालु जाट पत्नि जवाहर मल जाट निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. देवेन्द्र प्रसाद – वादीया अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद मंसूरी – अधिवक्ता 1, 2, 3, 6, 7, 8
3. प्रतिवादी संख्या 4, 5 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक–06.10.2025

1. पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया के पिता कालु पिता त्रिलोक जाट की खातेदारी अधिकार की ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आवादी में साविक आराजी संख्या 85 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 86 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा, आराजी संख्या 87 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 90 रकबा 10 विस्वा, आराजी संख्या 91 रकवा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 92 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकवा 8 वीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात पूर्वजो की होकर पु तैनी है जो वादीया के पिता कालु को अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई थी। कालु का देहान्त के बाद नामान्तरण सख्या 104 दिनाक 06–08–1972 से उक्त वर्णित भूमि कालु की विरासत से अकेले उनके पुत्रो हरलाल व मियाचन्द के अकेले नाम पर दर्ज कर दी गई। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. रायपुर

प्रावधानों के अनुसार कालु जी के विरासत से उक्त वर्णित भूमि वादीया और उसकी बहने प्रतिवादी संख्या 7 व 8 कमशः चादी एवं कंकु और प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता और प्रतिवादी सख्या 6 के पति श्री हरलाल और गियाचंद के नाम पर विरासत से दर्ज होनी चाहिए थी। बाद में गियाचंद भी लाऔलाद फौत हो गया जिससे उक्त वर्णित सारी भूमि हरलाल पुत्र श्री कालु जाट के नाम पर अकेले के नाम पर दर्ज हो गयी। जबकि इन आराजियात पर कालु के सभी वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। हरलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है। नवीन बन्दोवस्त होने पर उक्त वर्णित आराजियात के निम्नलिखित नवीन नम्बर आराजी सख्या 102 रकवा 0.8200 है0, आराजी संख्या 103 रकबा 0.2500 है0, आराजी संख्या 104 रकवा 0.1600 है0, आराजी संख्या 107 रकबा 0.1100 है0, आराजी संख्या 108 रकबा 0.1800 है0, आराजी संख्या 109 रकवा 0. 3500 है0, आराजी संख्या 110 रकबा 0.0200 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.8900 है0 भूमि कायम हुए है। वादपत्र की धारा सख्या 2 में वर्णित साबिक आराजियात जिसके की नवीन बन्दोबस्त में वाद की धारा 4 में वर्णित आराजियात कायम की है उसमे खातेदार हरलाल पिता श्री कालु जी जाट का नाम हटाया जाकर इन आराजियात मे 1/4 हिस्सा वादीया का एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का भी प्रत्येक का 1/4 हिस्सा और प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा होना घोषित कराया जाकर इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज कराये जाने की घोशणात्मक इन्द्राज दुरस्ती की डिकी बहक वादीया पारित कराया जाना आव यक है।

2. अतः वादीया की सादर प्रार्थना है कि घोशणात्मक डिकी बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण के पारित करायी जाकर ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर में स्थित नवीन आराजी संख्या 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 किता 7 कुल क्षेत्रफल 1.8900 हेक्टेयर भूमि मे हरलाल पिता कालु जाट का नाम हटाया जाकर वादीया को 1/4 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को प्रत्येक को 1/4 हिस्से और प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करायी जावे और इसी अनुसार इसी भूमि के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराया जावे। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्रतिवादीगण को पाबंद करायी जाये कि वह वादपत्र की चरण सख्या 4 में वर्णित नवीन आराजियात नं 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 किता 7 कुल क्षेत्रफल 1.8900 हेक्टेयर भूमि को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित, भारित नहीं करे और न्यायालय की आज्ञा के बिना इस भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी तरह का परिवर्तन करे और इसी भूमि से न तो वादीया को वेदखल करे व न ही कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप करे।

3. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी 4, 5 बावजुद सम्यक ताभील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 14.08.2025 को अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री फारूख मोहम्मद द्वारा जवाब मय काउन्टर

सहायक कलक्टर

क्लेम प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 9 औपचारिक पक्षकार है।

4. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर 01 वादियां एवं प्रतिवादीगण के सजरे से संवंधित हैं, वादियां स्वय सिद्ध करे। वाद पत्र की कलम नम्बर 02 गलत होकर अस्वीकार हैं। वादियां स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र की कुलम नम्बर 03 का जवाब इस प्रकार हैं कि वादियों एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज का देहान्त होने के उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 104 दिनांक 06.08.1972 को राजस्व एजेन्सी के द्वारा पूर्ण जांच कर विरासत का नामान्तरणकरण फैसल किया, जो खातेदार हरलाल व मियाचन्द दोनों के नाम संयवुत्त रूप से दर्ज हुआ, जिसमें वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 ने मौखिक रूप से सहमति देते हुए दोनों भाईयों के नाम दर्ज करवाने की स्वीकृति दी। मियाचन्द के कोई जाईनदी पुत्र या पुत्री नहीं थे। जो शुरू से ही अपने भाई हरलाल के साथ ही रहते रहे थे। तथा उन्होंने अपने जीवित रहते अपने भाई हरलाल के नाम पर एक विक्रय पत्र तावादी 50000/ अक्षरे पचास हजार रूपये दिनांक 24. 06.1995 को निष्पादित करवाया। विक्रय पत्र खातेदार हरलाल ने पूर्ण प्रतिकूल अदा कर विक्रेता का 1/2 हिस्सा क्रय किया। तब से ही मृतक खातेदार हरलाल वाद वर्णित भूमियों पर काबिज रहे। तथा उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। विक्रय पत्र का नामान्तरण मृतक खातेदार हरलाल के दिनांक 06. 07.1995 को दर्ज होकर भूमियां जरिये नामान्तरण संख्या 229 से उनके नाम पर दर्ज हुई। वादियां ने हरलाल पिता कालु जाट के नाम पर अकेले भूमियां दर्ज होने का कथन गलत अंकित किया है, जबकि भूमिया मृतक खातेदार कालु जाट की मृत्यु उपरान्त दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज हुई थी। वाद पत्र की कलम नम्बर 02 में वर्णित साबिक आराजियात के नवीन नम्बर वाद पत्र की कलम संख्या 04 में अंकित है, जो सही हैं। शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। उक्त कलम में वादियां ने अपना 1/4 हिस्सा गलत अंकित किया है, जबकि वाद वर्णित भूमियों में सभी खातेदारान का हिस्सा मान भी लिया जाये, तो प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित रेकार्ड अनुसार होना चाहिए। वादियां का एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 व प्रतिवादी संख्या 07 व 08 का संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा अंकित होना चाहिए। वादियां ने गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं, जो खारिज होने योग्य हैं। वादियां किसी भी आधार पर खातेदारी अधिकारी की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। भूमियां प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के पिता व प्रतिवादियां संख्या 06 के पति हरलाल पिता कालु जाट के नाम पर भूमियां तन्हा रूप कभी दर्ज रेकार्ड नही रही बल्कि भूमियां 1972 में ही दोनो भाईयों के नाम पर संयुक्त रूप रो दर्ज हुई। वादपत्र में वादीया ने झुठा शपथ पत्र पे ा किया है जो आधारहीन तथ्यो पर आधारित होकर खारीज योग्य है।

5. वादपत्र एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम कि गई जो निम्न है –

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

I. आया ग्राम नान्दुड़ा, पटवार हल्का खाखरमाला, तहसील रायपुर में स्थित वादपत्र की चरण संख्या 4 में नवीन आराजियात संख्या 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि में वादिया का 1/4 हक हिस्से की अधिकारीणी है।

जिम्मे वादिया

II. आया बहक प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिवादीगण को पांबद कराये जावे कि वह वादपत्र की चरण संख्या 4 में नवीन आराजियात संख्या 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 किता 7 कुल रकवा 1.89 है0 भूमि में वादिया का 1/4 हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का खुर्द बुर्द भारित, हस्तान्तरण कारित नही करें।

जिम्मे वादिया

III. आया वर्णित साबिक आराजियात के नवीन नम्बर वादपत्र की चरण संख्या 4 में नवीन आराजियात संख्या 102,103,104,107,108,109,110 किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि में अपना हिस्सा 1/4 नही होकर 1/5 हक हिस्सा निहित है। जम्मे प्रतिवादीगण

IV. अनुतोष ?

6. वादिया ने साक्ष्य के रूप में स्वयं का एवं स्वतंत्र गवाह सुखलाल पिता जयसिंह जाट निवासी कोट का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वादिया ने शपथ पत्र में अंकन किया कि वादिया के पिता कालु पिता त्रिलोक जाट की खातेदारी ग्राम नान्दुड़ा की जमाबन्दी संवत 2026–2030 में दर्ज थी। उक्त वादवर्णित आराजियात पुश्तैनी होकर पूर्वजो से प्राप्त हुई थी। कालु के देहान्त के बाद नामान्तरण संख्या 104 दिनांक 06.08.1972 को केवल पुत्रों के नाम फैसल कर दिया जबकि वादीया का नाम दर्ज होना चाहिए था। वादिया के भाई मियाचन्द लाऔलाद फौत हो गया जिससे सभी भूमि हरलाल पिता कालु जाट के नाम दर्ज हो गई। हरलाल का देहान्त होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वारीसान है। नवीन बन्दोबस्त होने से नवीन आराजियात संख्या 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 कुल किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि में खातेदार हरलाल पिता कालु जाट का नाम हटाया जाकर वादिया का 1/4 प्रतिवादी संख्या 7 व 8 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा घोशित कराया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादिया के साक्ष्य के सुखलाल द्वारा प्रस्तुत अपने भापथ पत्र में अंकन किया कि मै नान्दुड़ा के कालु जाट को जानता हुँ जिसके 5 संतान थी कमशः हरलाल, चान्दी, कंकु, मियाचन्द, व प्यारी है जिसे मे बचपन से जानता हुँ। वादवर्णित आराजियात में वादिया का 1/4 हिस्सा आता है। कालु के फोत हो जाने से सभी भूमि भाईयों के नाम दर्ज हो जाने से वादिया ने वादपत्र प्रस्तुत किया है जो सही है। वादिया ने अपनी जिरह में बताया कि उसका भाई मियाचन्द लाऔलाद फोत हो गया मियाचन्द के जीवनकाल मे वह बड़े भाई हरलाल के साथ ही रहता था एवं मृत्यु के समय में भी उसके साथ ही रह रहा था। वादिया को इस बात की जानकारी नही है कि मियाचन्द ने 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री उसके जिवित रहते भाई हरलाल के नाम दर्ज करवा दी है। स्वतंत्र गवाह सुखलाल ने अपनी जिरह में बताया कि कालु पिता त्रिलोक के पांच संन्ताने हुई। मियाचन्द के औलाद नही थी और मियाचन्द व हरलाल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

अलग–अलग रहते थे। दोनो भाई हरलाल व मियाचन्द जब तक जिवित थे तब तक वादिया प्यारी ने हक का दावा नही किया।

7. वादिया ने दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो निम्न है :–

क.स.	प्रदर्श विवरण	प्रदर्श	वि.वि.
1	साबिक जमाबन्दी संवत 2027 से 2030 ग्राम नान्दुड़ा	प्रदर्श–1	वादग्रस्त आराजियात कालु पिता त्रिलोक जाट के नाम दर्ज है।
2	नामान्तरण संख्या 104 की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श–2	वादग्रस्त आराजियात कालु पिता त्रिलोक जाट के फोत होने पर दिनांक 06.08.1972 को हरलाल एवं मियाचन्द के नाम दर्ज की गई।
3	मिलान क्षेत्रफल की नकल	प्रदर्श–3	
4	वर्तमान जमाबन्दी की नकले	प्रदर्श–4	वादग्रस्त आराजियात हरलाल पिता कालु जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है।

8. प्रतिवादी भैरूलाल पिता हरलाल जाट निवासी कोट व गोपीलाल पिता हरलाल जाट निवासी कोट एवं चान्दी पुत्री कालु जाट निवासी कोट ने शपथ पत्र पर लिखित बयान पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये है। भैरूलाल पिता हरलाल जाट व गोपीलाल पिता हरलाल जाट ने शपथ पत्र पर अपने बयान में अंकन किया ग्राम नान्दुड़ा की वादवर्णित आराजियात कुल किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि दर्ज है जिस पर वर्तमान में काबिज होकर हिस्सेनुसार काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादिया शादिशुदा होकर वयोवृद्व है जो अपने ससुराल में रहती चली आ रही है। सन् 1972 में ही मृतक खातेदार कालु जाट की विरासत के दौरान अपना निहित हिस्सा मौखिक रूप से मियाचन्द व हरलाल के नाम दर्ज करवाया। उनकी मृत्यु उपरान्त शपथकर्ता काश्त लाभ ले रहे है। उक्त भूमियों में वादिया का 1/4 हक हिस्सा नही बनता है गलत हिस्से का वाद पेश किया है। खातेदार मियाचन्द शुरू से ही अपने भाई हरलाल के साथ रहता था जिसका सामाजिक खर्च हरलाल ने ही किया था। मियाचन्द ने अपने जीवनकाल में ही भूमि हरलाल के नाम विकय पत्र निष्पादित करवा दिया जिसका नामान्तरण 06.07.1995 को हरलाल के नाम खोला गया। वादिया ने कालु की मृत्यु के 50 वर्ष बाद वाद पेश किया है तथा गलत हिस्से के आधार पर पेश किया गया जो खारीज योग्य है।

प्रतिवादी सख्यां 2 गोपीलाल पिता भैरूलाल जाट ने अपनी गवाही में बताया कि कालु जो उसके दादा थे उनके पांच सन्ताने थी जिसके नाम कमशः हरलाल, चान्दीदेवी, कंकुदेवी, मियाचन्द, प्यारीदेवी है। वादिया प्यारी को कालु जाट की पुत्री तथा अपनी भुआ होना बताया गया। मियाचन्द का अपने समय में हरलाल के साथ ना होकर अपनी बहनो प्यारी और चान्दी के साथ रहना बताया। मियाचन्द की मृत्यु अपनी बहन चान्दी के ग्राम आमली में होना तथा वही दाह संस्कार होना बताया और मियाचन्द का सामाजिक कियाकम ग्राम कोट में प्रतिवादीगणो द्वारा करना बताया। मियाचन्द द्वारा हरलाल को अपने हिस्से की

भूमि विक्रय कर देने की जानकारी ना होना बताया। कालु के जिवित रहते वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा होने की जानकारी नही होना बताया। वादिया प्यारी के कोई सामाजिक कार्यकम न होने से मायरा आदि नही किया जाना बताया गया।

9. वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। बहस में अंकन किया कि वादवर्णित आराजियात के साबिक रेकार्ड का अंकन करते हुए नवीन आराजी 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 कुल किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीया का जन्म से ही अधिकार है। वादग्रस्त आराजियात मे वादीया का 1/4 हिस्सा है। वादीया ने प्रतिवादीगण को रेकार्ड दुरस्त कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण साफ तौर पर इन्कार हो गये। वादीया को प्रतिवादी संख्या 3, 6, 8 द्वारा पेश जवाब में कालु की पुत्री होना स्वीकार किया गया है। वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने का कारण मौखिक सहमति बताया गया है। मियाचन्द की आराजियात हरलाल के नाम दर्ज होने का कारण विक्रय पत्र निश्पादित करना बताया है। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया ने साबिक जमाबन्दी संवत 2027 से 2030 तक, नामान्तकरण संख्या 104 की प्रति, मिलान खसरा की प्रमाणित प्रति, वर्तमान जमाबन्दी को प्रदर्श कराया गया। वादीया कालु पिता त्रिलोक जाट की पुत्री होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त आराजियात कालु पिता त्रिलोक जाट की पैतृक सम्पति है जो साबिक जमाबन्दी से स्पष्ट है। वादीया के पिता की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लागु होने के बाद हुई है। नामान्तकरण संख्या 104 दिनांक 06.08.1972 द्वारा खोला गया है। मियाचन्द जाट ने अपने जीवनकाल में भूमि विक्रय की है जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य, विक्रय पत्र प्रस्तुत नही किया गया है व नामान्करण प्रदर्शित नही कराया गया है। वादग्रस्त आराजियात में वादीया 1/4 हिस्सा निहित है के सम्बन्ध में वादीया द्वारा वादपत्र में सजरा पेश किया गया है जिसके सम्बन्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है। पारिवारीक सजरे अनुसार मियाचन्द के लाऔलाद फोत होने से 3 बहिने व 1 भाई हरलाल जीवित थे जिसके आधार पर वादीया का 1/4 हिस्सा की हकदार है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार वर्ग 1 के वारिसो में पुत्र, पुत्री, विधवा माता पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमत पुत्र की पुत्री, पुर्वमृत पुत्री. का पुत्र, पुर्वमृत पुत्री की पुत्री, पुत्र की विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र की विधवा को सम्मिलित किया गया है। वर्ग 2 वारिसान में

I. पिता

II. 1. पुत्र की पुत्री का पुत्र 2. पुत्री की पुत्री 3. भाई 4. बहिन

(**स्पष्टीकरण**– इस अनुसुची में भाई या बहिन के प्रति निर्देशो क अन्तर्गत उस भाई या बहिन के प्रति निर्देश नही है तो केवल एकोदररक्त के हो।)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

10. प्रकरण में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नही कर मौखिक बहस की गई। बहस में निवेदन किया कि वादीया का 1/4 हिस्सा है वो कही पर सावित नही हो रहा है परन्तु वादीया का 1/5 हिस्सा पर सहमति व्यक्त की गई। वादीया द्वारा वर्ष 1972 से अव तक किसी प्रकार का वाद पेश नही किया गया। वादीया की जिरह में मियाचन्द व हरलाल दोनो भाई एक साथ रहना स्वीकार किया गया। मियाचन्द के जीवनकाल में ही 1/2 हिस्से को विक्रय पत्र के जरिये हरलाल को वेच दिया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा होईकोर्ट कनार्टका की नजीर प्रफुल्ला एम. भट्ट वगैरा बनाम सरस्वती शास्त्री वगैरा की प्रस्तुत गई जो शामिल पत्रावली की गई।

11. वादपत्र, जवाब दावा, साक्ष्य, बयान, गवाह एवं अधिवक्ताओं की बहस के आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

I. आया ग्राम नान्दुड़ा, पटवार हल्का खाखरमाला, तहसील रायपुर में स्थित वादपत्र की चरण संख्या 4 में नवीन आराजियात संख्या 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि में वादिया का 1/4 हक हिस्से की अधिकारीणी है।

जिम्मे वादिया

इस तनकी को साबिक कराने का भार वादिया पर था। वादिया ने साक्ष्यवादी में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र गवाह सुखलाल पिता जयसिंह जाट निवासी कोट द्वारा वादिया के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वादिया ने साबिक जमाबन्दी संवत 2027 से 2030 ग्राम नान्दुड़ा की प्रस्तुत की गई जो प्रदर्श–1 है जिसमें वादग्रस्त आराजियात कालु पिता त्रिलोक जाट के नाम दर्ज है। नामान्तरण संख्या 104 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–2 है जिसमें वादग्रस्त आराजियात कालु पिता त्रिलोक जाट के फोत होने पर दिनांक 06.08.1972 को हरलाल एवं मियाचन्द के नाम दर्ज की गई। मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–3 है। वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श–4 है जिसमें वादग्रस्त आराजियात हरलाल पिता कालु जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है। स्वतंत्र गवाह सुखलाल द्वारा कालु पिता त्रिलोक जाट के पांच सन्ताने होना तथा वादिया प्यारी का हरलाल व मियाचन्द की बहिन होना बताया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा मियाचन्द के नाम की भूमि को हरलाल के नाम विक्रय होना बता कर दिनांक 06.07.1972 को नामान्तरण होना बताया गया परन्तु कोई इस विक्रय एवं नामान्तरण को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे प्रतिवादीगण अपने पक्ष में मियाचन्द द्वारा अपने हिस्से की आराजियात का विक्रय करने के कथन को साबित नही कर पाये है। वादिया द्वारा प्रदर्श कराये गये दस्तावजो के आधार पर वादवर्णित भूमि पैतृक व पुश्तैनी है। वादिया, स्वतंत्र गवाह सुखलाल की गवाही व प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे एवं जिरह में वादिया को कालु की पुत्री होना स्वीकार किया गया है जिससे यह साबित होता है कि वादिया कालु की पुत्री होकर वादवर्णित आराजियात में 1/5 हिस्से की अधिकारीणी है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार वर्ग 1 के वारिसो में पुत्र, पुत्री विधवा माता पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वगत पुत्र की पुत्री, पुर्वमृत पुत्री का पुत्र, पुर्वमृत पुत्री

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर

की पुत्री, पुत्र की विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र की विधवा को सम्मिलित किया गया है।

वर्ग 2 वारिसान में

I. पिता

II. 1. पुत्र की पुत्री का पुत्र 2. पुत्री की पुत्री 3. भाई 4. बहिन

(**स्पष्टीकरण–** इस अनुसुची में भाई या बहिन के प्रति निर्देशो क अन्तर्गत उस भाई या बहिन के प्रति निर्देश नही है तो केवल एकोदररक्त के हो।)

चूंकि मियाचन्द के लाऔलाद फोत होने से एवं मियाचन्द द्वारा अपने हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण के पक्ष में व्रिकय साबित ना होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मियाचन्द के वर्ग 1 के वारीसान नही होने से वर्ग 2 के वारीसानो का सम्पति पर हक बनता है। वर्ग 2 के बिन्दु II के अनुसार वारीसानों में भाई व बहिन का बराबर का हक हिस्सा निहित होता है।

मियाचन्द के हिस्से की भूमि की में मियाचन्द के अन्य भाई बहिनो के साथ वादिया भी बराबर की हकदार है, जिससे वादिया का सम्पूर्ण आराजियात में 1/4 हिस्सा होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में वादिया इस तनकी को साबित कराने सफल रहने से इस तनकी का निर्णय बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

II. आया बहक प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से प्रतिवादीगण को पांबद कराये जावे कि वह वादपत्र की चरण संख्या 4 में नवीन आराजियात संख्या 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि में वादिया का 1/4 हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का खुर्द बुर्द भारित, हस्तान्तरण कारित नही करें। जिम्मे वादिया

इस तनकी को साबिक कराने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा प्रथम तनकी को साबित किया है। रेकार्ड का प्रदर्श करवाया गया है। वादिया ने प्रतिवादीगण द्वारा मियाचन्द के नाम की भूमि को हरलाल के नाम विकय होना बता कर दिनांक 06.07.1972 को नामान्तरण होना बताया गया परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। वादिया का 1/4 हिस्सा वादिया द्वारा रेकार्ड के आधार पर साबित करवाया गया है। वादिया वादवर्णित भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि को खुर्द–बुर्द भारित अन्तरित नही करने हेतु प्रतिवादीगण को पांबद करने की अधिकारीणी है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

III. आया वर्णित साबिक आराजियात के नवीन नम्बर वादपत्र की चरण संख्या 4 में नवीन आराजियात संख्या 102,103,104,107,108,109,110 किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि में अपना हिस्सा 1/4 नही होकर 1/5 हक हिस्सा निहित है। जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबिक कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा भैरूलाल पिता हरलाल जाट निवासी कोट व गोपीलाल पिता हरलाल जाट निवासी कोट एवं चान्दी पुत्री कालु के शपथ पत्र पर बयान कराये गये। बयानो के आधार पर वादिया कालु जाट

की पुत्री होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सख्यां 2 गोपीलाल पिता भैरूलाल जाट ने अपनी गवाही में बताया कि कालु जो उसके दादा थे उनके पांच सन्ताने थी जिसके नाम कमशः हरलाल, चान्दीदेवी, कंकुदेवी, मियाचन्द, प्यारीदेवी है। वादिया प्यारी को कालु जाट की पुत्री तथा अपनी भुआ होना बताया गया। मियाचन्द का अपने समय में हरलाल के साथ ना होकर अपनी बहनो प्यारी और चान्दी के साथ रहना बताया। मियाचन्द की मृत्यु अपनी बहन चान्दी के ग्राम आमली में होना तथा वही दाह संस्कार होना बताया और मियाचन्द का सामाजिक कियाकम ग्राम कोट में प्रतिवादीगणो द्वारा करना बताया। मियाचन्द द्वारा हरलाल को अपने हिस्से की भूमि विकय कर देने की जानकारी ना होना बताया। कालु के जिवित रहते वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा होने की जानकारी नही होना बताया। वादिया प्यारी के कोई सामाजिक कार्यक्रम न होने से मायरा आदि नही किया जाना बताया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में मियाचन्द के नाम की भूमि को हरलाल के नाम विकय होना बता कर दिनांक 06.07.1972 को नामान्तरण होना बताया गया परन्तु कोई इस विकय एवं नामान्तरण को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार वर्ग 1 के वारिसो में पुत्र, पुत्री, विधवा माता पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमत पुत्र की पुत्री, पुर्वमृत पुत्री का पुत्र, पुर्वमृत पुत्री की पुत्री, पुत्र की विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र की विधवा को सम्मिलित किया गया है।

वर्ग 2 वारिसान में

I. पिता

II. 1. पुत्र की पुत्री का पुत्र 2. पुत्री की पुत्री 3. भाई 4. बहिन

(**स्पष्टीकरण**– इस अनुसुची में भाई या बहिन के प्रति निर्देशो क अन्तर्गत उस भाई या बहिन के प्रति निर्देश नही है तो केवल एकोदररक्त के हो।)

चूंकि मियाचन्द के लाऔलाद फोत होने से एवं मियाचन्द द्वारा अपने हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण के पक्ष में व्रिकय साबित ना होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मियाचन्द के वर्ग 1 के वारीसान नही होने से वर्ग 2 के वारीसानो का सम्पति पर हक बनता है। वर्ग 2 के बिन्दु II के अनुसार वारीसानों में भाई व बहिन का बराबर का हक हिस्सा निहित होता है।

मियाचन्द के हिस्से की भूमि की में मियाचन्द के अन्य भाई बहिनो के साथ वादिया भी बराबर की हकदार है, जिससे वादिया का सम्पूर्ण आराजियात में 1/4 हिस्सा होना साबित होता है। जिससे प्रतिादीगण वादग्रस्त आरायिजात में वादिया का हिस्सा 1/4 के बजाय हिस्सा 1/5 होना साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

IV. अनुतोष ?

12. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं हाल रेकार्ड एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस का गभींरता पूर्वक अध्ययन किया एवं तनकीवार निर्णय का विवेचन किया तो पाया कि वादवर्णित भूमि पक्षकारों

सहायक कलक्टर (टी.आ.) रायपुर

की पैतृक व पुश्तैनी है। वादिया प्यारी कालु की पुत्री होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारीस है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मियाचन्द के वर्ग 1 के वारीसान नही होने से वर्ग 2 के वारीसानो का सम्पति पर हक बनता है। वर्ग 2 के बिन्दु II के अनुसार वारीसानों में भाई व बहिन का बराबर का हक हिस्सा निहित होता है। मियाचन्द के हिस्से की भूमि की में मियाचन्द के अन्य भाई बहिनो के साथ वादिया भी बराबर की हकदार है, जिससे वादिया का सम्पूर्ण आराजियात में 1/4 हिस्सा होना साबित होता है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा होईकोर्ट कनार्टका की नजीर प्रफुल्ला एम. भट्ट वगैरा बनाम सरस्वती शास्त्री वगैरा की प्रस्तुत गई जिसकी पैरा संख्या 23 के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की उपधारा 5 के अनुसार धारा 6 (1) के प्रावधान उन परिस्थतियों मे लागु नही होंगे जबकि किसी आराजी का विभाजन रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 की धारा 16 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख या न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा किया गया विभाजन दिनांक 20.12.2004 के पूर्व के हो। इस प्रकरण में दिनांक 20.12.2004 से पूर्व वादग्रस्त आराजियात का किसी प्रकार का रजिस्ट्रीकृत विभाजन साबित नही हुआ है। जिससे उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए वादपत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला में स्थित नवीन आराजी संख्या 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 कुल किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि में वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्व प्रतिवादीगण उक्त वादवर्णित भूमि में वादिया के 1/4 हिस्से को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित, भारित नहीं करे और इसी भूमि से न तो वादीया को बेदखल करे व न ही कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप करे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाडोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदे I 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 5/2021

जीसीएमएस नम्बर :– 2021/22

उनवान

1. प्यारी पुत्री कालु जाट निवासी कोट हाल निवास भगतपुरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. भैरूलाल पिता हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपी पिता हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोहन पिता हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बाली पुत्री हरलाल जाट निवासी कोट हाल निवास घोसुंडी तहसील आमेट जिला राजसंमद
5. प्रेमी पुत्री हरलाल जाट निवासी कोट हाल निवास मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मांगी बेवा हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. चान्दी पुत्री कालु जाट पत्नि मूला जाट निवासी आमलीकाछोटाखेड़ा तह.सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. कंकु पुत्री कालु जाट पत्नि जवाहर मल जाट निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला में स्थित नवीन आराजी संख्या 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110 कुल किता 7 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि में वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्व प्रतिवादीगण उक्त वादवर्णित भूमि में वादिया के 1/4 हिस्से को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित, भारित नहीं करे और इसी भूमि से न तो वादीया को बेदखल करे व न ही कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप करे।

वाद में डिकी आज दिनांक 06.10.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा